सं0संख्या–12 / प0–08–07 / 11 ~ 625(12)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

व्यास जी, भा0प्र0से0.
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी /
अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल /
निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना /
निदेशक, इन्दिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना /
उपाधीक्षक, गर्दनीबाग अस्पताल, पटना /
उपाधीक्षक, राजेन्द्र नगर अस्पताल, पटना /
उपाधीक्षक, गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी ।

/ पटना, दिनांकः– 17/7/12

विषयः–राष्ट्रीय स्वास्थ्य वीमा योजना के अन्तर्गत अस्पतालों को सूचीबद्ध करने के संबंध में।

प्रसंगः–विभागीय संकल्प सं0 586(12) दिनांक 25.07.2011 तथा विभागीय पत्रांक 773(12) दिनांक 11.10.2011 एवं 452(12) दिनांक 21.05.2012

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्रों के संदर्भ में कहना है कि इसके द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन अबतक नहीं किया गया है ।

यह खेद का विषय है कि सभी प्रयासों के बावजूद कई अस्पतालों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवार जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य वीमा योजना में पंजीकृत है, उनके निःशुल्क ईलाज की व्यवस्था सरकारी अस्पतालों में नहीं की गयी है । राष्ट्रीय स्वास्थ्य वीमा योजना केवल नीजी नर्सिंग होम के लिए ही नहीं बल्कि सरकारी अस्पतालों में सर्जरी आदि के लिए भी तैयार किया गया है । इसलिए सरकारी अस्पतालों में इस काम को प्रारम्भ करना नितान्त आवश्यक है । यह स्वास्थ्य विभाग की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है जिसपर आपसे अतिशीघ्र व्यवस्था प्रारम्भ करने की अपेक्षा है ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य वीमा योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसके अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले (बी0पी0एल0) परिवारों तथा कतिपय अन्य श्रेणी के मजदूरों एवं उनके परिवार के अन्य सदस्यों (अधिकतम 5 सदस्य) को अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में रू0 30,000 /– वार्षिक तक का

स्वास्थ्य लाभ फ्लोटर आधार पर एवं कैशलेश प्रदान करने का प्रावधान है । यह स्वास्थ्य लाभ राष्ट्रीय स्वास्थ्य वीमा योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों के माध्यम से किया जाता है ।

दिनांक 07.07.2012 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य वीमा योजना कार्यक्रम की समीक्षा की गयी । विभागीय संकल्प–सह–ज्ञापांक 586(12) दिनांक 25.07.2011 के आलोक में सभी आहर्ता/पात्रताधारी स्वास्थ्य संस्थानों को एक माह के अंदर राष्ट्रीय स्वास्थ्य वीमा योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य प्रदाता के रूप में सूचीबद्ध किया जाना है । इस संबंध में संबंधित वीमा कंपनी के अधिकारी उक्त सूचीबद्धता के संबंध में आपसे संपर्क करेंगे जिसमें उन्हें आप आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

अस्पतालों में कार्डधारी को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके इसके लिए सुगोचर स्थानों पर दिवारलेखन कराया जाय, ताकि लाभुकों को आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सके ।

इस मामले की समीक्षा अधोहस्ताक्षरी के द्वारा एक माह के अन्दर की जानी है । अतः अनुरोध है कि विभागीय संकल्प में वर्णित अस्पतालों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य वीमा योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध करने हेतु अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना 15 दिनों के अन्दर दें, ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके ।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन

16/7

(व्यास जी)

सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक– 625(12) /पटना, दिनांक– 17-7-12

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं/सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि–मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

16/7

सरकार के प्रधान सचिव ।